1 उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 132/2022 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
इन्द्रादेवी पत्नी उत्तमदान जाति चारण, निवासी झांफलीकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. नारायणसिंह पुत्र लूणसिंह 2. प्रभूसिंह पुत्र समर्थसिंह 3. दरियांकवर पत्नी राजसिंह 4. भेरसिंह पुत्र राजसिंह 5. राणसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपुत, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. भंवरूराम पुत्र नखताराम जाति सुथार, निवासी आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. अगरीदेवी पत्नी सुरताराम जाति सुथार, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. लक्ष्मीदेवी पत्नी शंकरदान 9. पपुदेवी पत्नी निम्बदान 10. चनणदान पुत्र रिड़मलदान 11. मांजुदेवी पत्नी गोपदान जाति चारण, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 12. टीलाराम पुत्र किस्तुराराम 13. राजाराम पुत्र किस्तुराराम 14. प्रभुराम पुत्र सगताराम 15. हरखाराम पुत्र सगताराम जाति दर्जी, निवासी नागणासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 16. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव 17. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा लखा तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर 18. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीनी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.06.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीनी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 377/36 रकबा 1.4569 हैक्टेयर मौजा नागणासर, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थीनी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 380/36, 260/36, 362/331, 363/331, 56, 304/57, 305/57, 57, 306/57, 55, 54, 334/58 की खातेदारी भूमि में प्रार्थीनी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीनी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे ग्राम झांफलीकला से नागणासर जाने वाली डामर सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीनी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीनी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीनी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम विकल्प है, जिसमें रास्ते हेतु खसरा नम्बर 54, 334/58, 55, 306/57, 57, 305/57, 304/57, 56, 363/331, 362/331, 380/36, 260/36 रकबा क्रमशः 7.2277, 5.4794, 8.4984, 2.7519, 2.7600, 2.7519, 4.6053, 6.8068, 1.9428, 4.8640, 9.8419, 1.8616 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0485, 0.0485, 0.1052, 0.0728, 0.0405, 0.0243, 0.0081, 0.0809, 0.1052, 0.0728, 0.0485, 0.0567 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की चौड़ाई 04 गट्ठा है। विप्रार्थी संख्या 1 से 17 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें।

हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 54, 334/58, 55, 306/57, 57, 305/57, 304/57, 56, 363/331, 362/331, 380/36, 260/36 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 की खातेदारी भूमि है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर खसरा नम्बर 54, 334/58, 55, 306/57, 57, 305/57, 304/57, 56, 363/331, 362/331, 380/36, 260/36 रकबा क्रमशः 7.2277, 5.4794, 8.4984, 2.7519, 2.7600, 2.7519, 4.6053, 6.8068, 1.9428, 4.8640, 9.8419, 1.8616 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0485, 0.0485, 0.1052, 0.0728, 0.0405, 0.0243, 0.0081, 0.0809, 0.1052, 0.0728, 0.0485, 0.0567 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट पक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम एवं सुगम है तथा प्रार्थीनी को डामर सड़क से आवागमन हेतु जोड़ता है। उक्त रास्ते की चौड़ाई 04 गट्ठा है। प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 377/36 रकबा 1.4569 हैक्टेयर मौजा नागणासर पटवार मण्डल झांफलीकला तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 54, 334/58, 55, 306/57, 57, 305/57, 304/57, 56, 363/331, 362/331, 380/36, 260/36 रकबा क्रमशः 7.2277, 5.4794, 8.4984, 2.7519, 2.7600, 2.7519, 4.6053, 6.8068, 1.9428, 4.8640, 9.8419, 1.8616 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.0485, 0.0485, 0.1052, 0.0728, 0.0405, 0.0243, 0.0081, 0.0809, 0.1052, 0.0728, 0.0485, 0.0567 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
SDO
सत्यमेव जयते
जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)